

जनपद चमोली के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत श्रीगढ़-हमोली मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.10 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 4.20 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव तकनीकी अधिकारी(वानिकी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0-08बी/यू0सी0पी0/06/55/2016/एफ0सी0/1542 दिनांक 26.10.2018 की शर्त सं0-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी पोखरी की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत श्रीगढ़-हमोली मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.10 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के एवज में ग्राग चमसील रा0उ0नि0 क्षेत्र पोखरी तहसील पोखरी की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0-18 के खसरा सं0-1109 रकबा 3.951 है0 एवं खसरा सं0-1112 रकबा 1.128 है0 मध्ये 0.249 है0 अर्थात् कुल 4.200 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ख कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0-2173/XVIII(II) /2012-18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस0 भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 4475/छब्बीस-16 (2018-2019) गोपेश्वर: दिनांक: 04 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, पोखरी।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी।

जिलाधिकारी,
चमोली।